वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर की वित्त समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक–28.11..2017 को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्तः–

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही–

1.	प्रो0 डा0 राजाराम यादव कुलपति		अध्यक्ष
2.	डा0 के0के0 तिवारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी।	(प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा) उ0प्र0शासन,लखनऊ	सदस्य
3..	श्री ए0 के0 सिंह अपर निदेशक,पेंशन एवं कोषागार वाराणसी परिक्षेत्र,वाराणसी।	(प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव,वित्त) उ0प्र0शासन,लखनऊ	सदस्य
4.	श्री एस0पी0 श्रीवास्तव वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग, लखनऊ ।		सदस्य
5.	श्री संजीव कुमार सिंह, का0वा0कुलसचिव / उप कुलसचिव		सदस्य
6..	एम0के0सिंह वित्त अधिकारी		सचिव

निर्धारित कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

प्रस्ताव सं0–1

दिनांक–5.6.2017 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से दिनांक–5.6.2017 को सम्पन्न हुई कार्यवृत्त का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि स्थाई सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन एवं विश्वविद्यालय परिसर में अनधिकृत रूप से रह रहे कर्मचारियों के बारे में वित्त्त समिति एवं कार्य परिषद में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही यथाशीध्र कर आगामी वित्त समिति में रखा जाय।

प्रस्ताव सं0–2

दिनांक–5.6.2017 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या

निर्णय–समिति कार्यवृत्त के अनुपालन आख्या से संज्ञानित हुई।

प्रस्ताव सं0–3

वित्तीय वर्ष 2016–17 की बैलेंस शीट के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से 2016–17 की बैलेंस सीट को अनुमोदित करने की संस्तुति के साथ ही विकास निधि व पेंशन निधि में पूर्व में रखी गयी धनराशि को सम्मिलित करते हुए भविष्य की पेंशन देयताओं के दृष्टिगत रू0 150 करोड़ की पेंशन निधि व रूके हुए निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु 300 करोड़ रूपये से विकास निधि गठित करने की संस्तुति की जाती है। इस प्रकार विश्वविद्यालय में सावधि जमा के रूप में लगभग रू0 20.52 करोड़ रूपये अवशेष रहेगें।

प्रस्ताव सं0–4

वित्तीय वर्ष 2017–18 के संशोधित आय–व्ययक एवं 2018–2019 के अनुमानित आय–व्ययक पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से आय–व्ययक के अनुमोदन की संस्तुति की गयी।अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव सं0–5

विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित विभिन्न छात्रावासों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियत वेतन बढ़ाने पर विचार।

निर्णय–समिति द्वारा सर्व सम्मति से उ0प्र0 श्रम विभाग के शासनादेश के क्रम में कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–6

डा0 राज कुमार,चीफ वार्डन के पत्र दिनांक–13.11.2017 में उल्लिखि बिन्दुओं के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

(क) समिति द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों एवं माता–पिता के ठहरने पर रू0 120.00 प्रतिदिन की दर से किराया लिये जाने की सम्मति से संस्तुति की गयी।

(ख) समिति द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले शोध छात्र–छात्राओं के छात्रावास में रूकने पर रू0 50.00 प्रतिदिन किराया लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ग) विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने आने वाले खिलाडियों (पुरूष/महिला) के छात्रावास में रूकने पर रू0 50.00 प्रतिदिन प्रति बेड किराया निर्धारित करने पर विचार।

प्रस्ताव सं0–7

विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतन के अनुसार पेंशन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त कर्मियों के सम्बन्ध में शासनादेश जारी होने के पश्चात पेंशन भुगतान की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–8

विश्वविद्यालय में संविदा पर पूर्व में नियुक्त चिकित्सक के कार्यकाल समाप्त होने पर पुनर्नियुक्ति अथवा नई नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से एक एम0बी0बी0एस चिकित्सक एवं एक होमियोपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति रू0 20,000.00 प्रतिमाह नियत वेतन पर नियुक्ति एक वर्ष हेतु शर्त के साथ किये जाने की संस्तुति की गयी कि उक्त चिकित्सकों को प्रतिदिन **(सप्ताह में 6 दिन,3 घंटे प्रतिदिन)** विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र पर बैठना होगा। शेष शर्तें वित्त समिति की बैठक दिनांक–8.10.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार यथावत रहेगी।

प्रस्ताव सं0–9

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में नियत वेतन पर संविदा पर प्राध्यापकों की नियुक्ति की गयी है। प्राध्यापकों द्वारा परिसर में स्थित छात्रावास के कक्ष का निशुल्क प्रयोग किया जाता है। ऐसे अध्यापकों के लिये किराया सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से ऐसे प्रवक्ताओं से छात्रावास में रहने पर रू0 2000.00 प्रतिमाह किराया लिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–10

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभिन्न छात्रावासों में नियुक्त चीफ वार्डन,वार्डन एवं सहायक(तृतीय श्रेणी) पारिश्रमिक बढ़ाये जाने हेतु डा0 राजकुमार,चीफ वार्डन द्वारा पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के लिये प्रस्ताव दिया गया है। प्रकरण वित्त समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–सर्व सम्मति से अतिरिक्त सूचना के साथ आगामी बैठक में रखे जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–11

शासनादेश संख्या–302/15(15)–7(2)/87,दिनांक–13 अप्रैल, 1988 के क्रम में विश्वविद्यालय के लिये आंतरिक सम्परीक्षक (प्रतिनियुक्ति पर) के स्थान पर कार्य कराये जाने पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को यथा शीध्र विश्वविद्याललय में आंतरिक सम्परीक्षक की नियुक्ति किये जाने हेतु पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति किये जाने के साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर इस पद पर किसी भी नियुक्ति का प्रस्ताव अनियमित होने के कारण असहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं0–12

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा के लिये विभिन्न दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– समिति को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक–13.8.2017 को पी0एच–डी0 की प्रवेश परीक्षा आयोजि करायी गयी थी। बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में निम्न दर होने के कारण पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा में दरें निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

कमांक	पदनाम	संख्या	पारिश्रमिक
1	केन्द्राध्यक्ष	01	रू0 2500/–नियत
2	सहा0केन्द्राध्यक्ष (250 परीक्षर्थियों तक 01एवं अधिक होने पर अधिकतम 02)		रू0 1100/–नियत
3	कक्ष निरीक्षक (प्रति 20परीक्षर्थियों पर 01)		रू0400/–प्रतिपाली
4	केन्द्र व्यय	प्रति परीक्षार्थी	रू0 7.00
5	जलपान व्यय	प्रति परीक्षार्थी	रू0 5.00
6	आकस्मिक व्यय(तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा विविध व्यय)	प्रति परीक्षार्थी	रू0 9.00
7	"जनरेटर व्यय (प्रति परीक्षा केन्द्र)		1000-00

"विश्वविद्यालय परिसर से बाहर परीक्षा केन्द्र निर्धारण होने की स्थिति पर रू0 1000.00 जनरेटर मद में देय होगा।

प्रस्ताव सं0–13

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता एवं रिटेनर का शुल्क बढ़ाये जाने पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से अधिवक्ताओं एवं रिटेनर के शुल्क के सम्बन्ध में कुलसचिव अन्य विश्वविद्यालयों से सूचना/जानकारी प्राप्त कर आगामी वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–14

मेडिकल कालेज डेंटल कालेज एवं नर्सिंग कालेजों हेतु सम्बद्धता शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क,प्राभूति धनराशि आदि निर्धारित किये जाने पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

क्र.स.	मेडिकल कालेज	सम्बद्धता शुल्क	वार्षिक परीक्षा शुल्क	प्राभूत धनराशि	निरीक्षण शुल्क
1					
	यू0जी0	75,00000.00	50,000.00	15,00000.00	100000.00 प्रतिविषय प्रतिव
	पी0जी0	1,0000000.00	50,000.00	20,00000.00	100000.00 प्रतिविषय प्रतिव
2	डेन्टल कालेज				
	यू0जी0	30,00000.00	15,000.00	60,00000.00	100000.00 प्रतिविषय प्रतिव
	पी0जी0	75,00000.00	30,000.00	20,00000.00	100000.00 प्रतिविषय प्रतिव
3	नर्सिंग कालेज				
	बी0एस–सी0 (नर्सिंग)	10,00000.00	10,000.00	20,00000.00	20,000.00 प्रतिविषय प्रतिव
	पोस्ट बेसीक बी0एस–सी0 (नर्सिंग) (पी0जी0)	25,00000.00	30,000.00	40,00000.00	20,000.00 प्रतिविषय प्रतिव
4	मेडिकल (पी0जी0)				
	पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स	25,00000.00	15,000.00	40,00000.00	100000.00 प्रतिविषय प्रतिव
5	डेन्टल पी0जी0				
	पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स	25,00000.00	15,000.00	40,00000.00	100000.00 प्रतिविषय प्रतिव
6	बी0ए0एम0एस0 आयुर्वेद/यूनानी बी0एच0एम0एस0				
	बी0ए0एम0एस0	25,00000.00	15,000.00	50,00000.00	100000.00 प्रतिविषय प्रतिव
	बी0ए0एम0एस0 (पी0जी)	40,00000.00	30,000.00	50,00000.00	100000.00 प्रतिविषय प्रतिव

नोटः परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क यथाः–प्रोसेसिंग,नामांकन, विकास, अंक पत्र एवं उपाधि शुल्क अलग से देय होगा।

प्रस्ताव सं0–15

स्नाताकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्तनाक स्तर पर प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के उपरांत परीक्षक द्वारा अलग–अलग पारिश्रमिक की मांग पर विचार।

निर्णय–समिति द्वारा सर्व सम्मति से शासनादेश सं0–306 / सत्तर–1–2011–15(32) / 81, दिनाक–29 मार्च, 2011 के क्रम में एक ही परीक्षक द्वारा दो या दो से अधिक प्रायोगिक परीक्षाओं को लिये जाने की स्थिति में समस्त प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु अलग–अलग न्यूनतम निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार

प्रस्ताव सं0–1

विश्वविद्यालय स्टाफ हेतु नयी बस क्रय किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–समिति द्वारा सर्व सम्मति से वर्तमान में प्रयोग की जा रही स्टाफ बस को निष्प्रयोज्य किये जाने की कार्यवाही करते हुए नयी बस क्रय किये जाने की संस्तुति की गयी तथा पूर्व में नीलाम की गयी बस के सापेक्ष नई बस क्रय किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

अन्य में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

30.11.17
(प्रो0डा0राजाराम यादव)
कुलपति / अध्यक्ष

(एम0के0सिंह)
वित्त अधिकारी / सचिव